बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

!! प्रेस विज्ञप्ति !!

एतद द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली यथा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2009 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम–12 के उप नियम–3 के तहत यह प्रावधान था कि " दो मूल्यांकन के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को उनके नियोक्ता के द्वारा सेवा से हटा दिया जाएगा।"

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर री0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 8929/2014 (लीलाधर कुमार एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) एवं अन्य समरूप मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2014 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय आदेश (ज्ञापांक–607/एल॰ दिनांक 15.09.2014) निर्गत किया गया। इसके तहत निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक/ज्ञापांक 298 दिनांक 28.02.2014, जिसके द्वारा दो अवसर पर असफल रहे नियोजित शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया गया था, को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। विभाग के उक्त आदेश में यह भी अंकित था कि वर्त्तमान में प्रवृत्त नियमावली यथा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 में आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त नियोजित शिक्षकों को मूल्यांकन (दक्षता परीक्षा) में सम्मिलित होने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 12239/2014 (रिजवाना खातून बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 02.04.2015 को आदेश पारित करते हुए विभाग के उक्त आदेश (ज्ञापांक–607/एल॰ दिनांक 15.09.2014) को अवैध करार दिया है। साथ ही वर्त्तमान में प्रवृत्त नियमावली के आलोक में निर्देश देते हुए आदेशित किया गया है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत वैसे नियोजित शिक्षक जो मूल्यांकन (दक्षता परीक्षा) में दो बार असफल रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से सेवामुक्त कर दिया जाय।

4. उक्त आदेश के अनुपालनार्थ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार यथा पंचायत सचिव/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त को निदेशित किया जाता है कि निदेशालय के पत्रांक 298 दिनांक 28.02.2014 द्वारा संसूचित 2734 नियोजित शिक्षक, जो दो मूल्यांकन के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त किये है, को दिनांक 09.04.2015 तक या उससे पूर्व सेवामुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में दिनांक 10.04.2015 के प्रभाव से संबंधित नियोजित शिक्षक स्वतः सेवामुक्त समझे जायेंगे और यदि उनसे कार्य लिया जाएगा तो उक्त अवधि के लिए नियत वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की राशि से नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के विरूद्ध जिम्मवारी निर्धारित करते हुए आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इससे संबंधित आदेश (ज्ञापांक–374 दिनांक–04.04.2015) निर्गत है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाइट–www.educationbihar.gov.in पर भी किया जा सकता है।

6/4/15

(आर॰ के॰ महाजन)
प्रधान सचिव।